



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2019/ज्येष्ठ 31, 1941

No. 373]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2019/JYAISTHA 31, 1941

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2019

**सा.का.नि. 442(अ).**—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, (एम वी एल), (ई-मेल: jspb-morth@gov.in), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजी जा सकेगी।

### प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंन (.....संशोधन) नियम, 2019 है।  
(2) ये 1 अक्टूबर 2019 से प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,  
(i) प्रपत्र 23क में, तालिका में क्रम संख्या 2 (ख) में, स्तंभ पीछे की तरफ में,

(क) क्रम संख्या 9 और इन से सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा:—

9	धुरे की संख्या/ धुरा पंक्ति की संख्या (माँड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों के मामले में)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पी टी.”
---	--	---------------------	-------------

(ख) क्रम संख्या 18 और इन से सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जायेगा :-

“18	लदान के साथ वजन/ माँड्यूलर वजन (माँड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों के मामले में)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पी टी.”
-----	---	---------------------	-------------

[सं.आर टी-11036/28/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3 के उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि..... तारीख.....द्वारा उनका अन्तिम संशोधन किया गया ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2019

**G.S.R. 442(E).**—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

2. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL ), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001, Email:- [jspb-morth@gov.in](mailto:jspb-morth@gov.in) .

3. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

### DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (\_\_\_\_\_ Amendment) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force w.e.f 01<sup>st</sup> October, 2019.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in FORM 23A, in serial no 2 (b), in the table, in the columns Reverse side,

(a) for item at serial no .9 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“

9.	Number of Axle/Number of axle rows (in case of modular hydraulic trailers)	Myriad Pro Regular	5.5pt.”
----	--	--------------------	---------

(b) for item at serial no.18 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

---

“18.	Laden weight/ Module Weight (kg) (in case of modular hydraulic trailers)	Myriad Regular	Pro	5.5pt.”
------	--	-------------------	-----	---------

[No. RT-11036/28/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. \_\_\_\_\_(E), dated the \_\_\_\_\_.